20/1/26

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। बाद सुनवाई व बहस सुनी प्रार्थी पक्ष प्रार्थीगण बहीनाम डिक्री पारित की विस्तृत निर्णय अलग से शामिल डिक्री जारी हो पत्रावली नियम से दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सुनाया गया।

GCMS
2022/386

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जय प्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 293/2022 RCMS:- 2022/386 **दायर दिनांक : 27.09.2022**

1. मु. लाई सेन पत्नी मोहम्मद सलाम जाति मुसलमान निवासी ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सलमा पुत्री मोहम्मद सलाम पत्नी गुलाम कादर जाति मुसलमान निवासी ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

......प्रार्थीगण

बनाम

1. मोहम्मद सलाम पुत्र असमील जाति मुसलमान निवासी ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सलामू खॉ पुत्र अस्मील खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. जमू खॉ } पुत्र दोसू खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम हिन्दौर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. नजीर खॉ }
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
6. उपपंजीयक साहब, राजियासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. 1955

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपस्थितः

1. श्री सर्वजीत छाबड़ा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 2
2. श्री आनन्द स्वामी, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2
3. पैरोकार राज तहसीलदार राजस्व सूरतगढ।

निर्णय **दिनांक : 28.01.2026**

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई, पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित है पत्रावली का अवलोकन किया, विचारण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक वाद घोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.ए. 1955 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम रोही हिन्दौर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 76 में संयुक्त खाता में 13.963 है. भूमि खातेदारी में अप्रार्थी सं. 1 के नाम से 1/4 हिस्सा अर्थात 3.490 है. बारानी भूमि आती है। इसी प्रकार अप्रार्थी सं. 2 का 1/4 हिस्सा में 3.490 है. व अप्रार्थी स. 3 व 4 की 6.981 है. भूमि दर्ज कागजात है। अप्रार्थी सं. 1 के नाम 3.490 है. पैतृक भूमि है यह अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति नहीं है यद्यपि यह भूमि अप्रार्थी स. 1 के नाम दर्ज कागजात है किन्तु इसमें प्रार्थी सं. 1 लाई सेन पत्नि मोहम्मद सलाम व प्रार्थी सं. 2 सलमा पुत्री मोहम्मद सलाम अप्रार्थी सं. 1 की पत्नी व पुत्री होने से मोहम्मद सलाम के नाम [illegible] भूमि होने से 2/3 हिस्सा कि खातेदारी की घोषणा अपने नाम से करवाने की हकदार है क्योंकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः पेज 2 पर....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं पैदा कर्दा भूमि नहीं है बतौर वारिस प्राप्त हुई है प्रार्थीगण (वाद में वादीगण) पूर्व बीकानेर रियासत के काश्तकार है जहॉ उत्तराधिकार हिन्दु विधि अनुसार परम्परागत रूप से होते रहे है इसी अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण पर हिन्दु विधि ही प्रभावशील है इसी के अधीन प्रार्थीगण (वाद में वादीगण) अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है। वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 वास्ते स्थगन प्रस्तुत किया व वाद ग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे इसलिए अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण को इकतरफा सुनकर दिनांक 27.09.2022 को अस्थाई रूप से आगामी तारीख पेशी तक स्थगन प्रदान कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से आनन्द स्वामी अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 3 ता 6 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश हुए व अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

बाद आने जवाब तर्क सुने गये प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 1 के नाम रोही हिन्दौर जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 76 नई 133 पुरानी के ख.स. 146 में 13.9530 है. बारानी भूमि में 1/4 हिस्सा जो कि 3.490 है. भूमि बनती है बतौर खातेदारी दर्ज कागजात है दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध है यह भूमि अप्रार्थी सं. 1 को बतौर उत्तराधिकारी हिन्दु विधि अनुसार प्राप्त हुई है जो दस्तावेजी रिकॉर्ड से सिद्ध है हिन्दु विधि के अनुसार ही प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के उत्तराधिकार निश्चित होते है यह उक्त अंकन दस्तावेजी से भी स्पष्ट है इस भूमि में प्रार्थीगण का 2/3 हिस्सा बनता है जिसकी घोषणा का वाद विचाराधीन है वाद के विचारण में रहते भूमि हस्तांतरण होने की पूर्ण सम्भावना है इसके लिए अप्रार्थी सं. 1 बार बार धमकी दे रहा है, वाद होने से रंजिशन भी भूमि को हस्तांतरण करने की फिराक में है भूमि विक्रय हेतू सम्भावित क्रेताओं को भूमि दिखा रहा है ऐसी अवस्था में वाद ग्रस्त भूमि हस्तांतरित होने पर प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। भूमि विवादित होने से उक्त भूमि की वाद निर्णय तक यथास्थिति बनाये रखना अति आवश्यक है ताकि सम्भावित वाद निर्णय की पालना में विघ्न उत्पन्न ना हो, अतः पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 27.09.2022 को वाद निर्णय तक बढाने की प्रार्थना की साथ ही निवेदन किया कि जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र की ताईद में अप्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए [illegible] की शपथ पत्र मान्यता प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थीगण एवं अप्राथीगगण जाति से मुस्लिम है व मुस्लिम विधि से शासित होते है जहॉ हिन्दु मिताक्षरा विधि कतई प्रभावशील नहीं है प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता व मौका पर कब्जा नहीं है, अपूर्णीय क्षति उनको

क्रमशः पेज 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कतई नहीं है, प्राथमिक रूप से वाद स्वीकृत होने की कतई सम्भावना नहीं है प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी सं. 1 की स्वयं अर्जित सम्पत्ति माने जाने योग्य है क्यों कि उन पर मुस्लिम विधि प्रभाव शील है, इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के बाद तर्को के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया एवं पाया कि रोही हिन्दौर जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 76 नई 133 पुरानी के ख.स. 146 में 13.9530 है. बारानी भूमि में 1/4 हिस्सा जो कि 3.490 है. भूमि बनती है मोहम्मद सलाम के नाम अंकित है प्राथमिक रूप से भूमि उसे विरास्तन रूप से प्राप्त हुई है यह तथ्य उभय पक्ष स्वीकार करते है प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण पर हिन्दु विधि लागू होती है या नहीं यह वाद में निर्णय होने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है इस आधार पर प्रार्थीगण का प्राथमिक रूप से मामला बनना पाया जाता है जहॉ तक भूमि हस्तांतरण का सम्बंध है वाद चलन के दौरान भूमि का हस्तांतरण बिना अदालत की स्वीकृति के किया जाना हस्तांतरण अधिनियम के भी विरूद्ध है एवं ऐसा हस्तांतरण हस्तांतरण अधिनियम अनुसार वाद की सम्भावित आदेश के अधीन ही रहता है अर्थात हस्तांतरण होना वाद निर्णय में बाधा के रूप में अवस्थित होता है इसीलिए वाद निर्णय तक वाद की विषय वस्तु की यथास्थिति बनाये रखना उचित प्रतीत होता है अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई कारण नहीं बताया कि स्थगन होने से उनको किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति हो रही हो जबकि प्रार्थीगण को स्थगन ना होने से वाद निर्णय की पालना में व्यवधान होने की पूर्ण सम्भावना है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीयान स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 मोहम्मद सलाम को पाबंद किया जाता है कि वे वाद ग्रस्त भूमि जमाबंदी सम्वत 2067 ता 70 के खाता सं. 76 नई 133 पुरानी के ख.स. 146 में 13.9530 है. बारानी भूमि में 1/4 हिस्सा जो कि 3.490 है. भूमि जो उनके नाम बतौर खातेदारी अंकित है कि यथा स्थिति ता फैसला वाद बनाये रखे एवं उक्त भूमि को बजरिये रहन, बैय हस्तांतरित ना करें। यह स्थगन रास्ता, खाला, [illegible] बैंक ऋण, भूमि अवाप्ति पर अप्रभावी रहेगा। आदेश दिनांक 27.09.[22] की अनुसार ता फैसला वाद बढाया जाता है।

निर्णय सुनाया गया, पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.29 12:37:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़